Exploitation of poor people for kidney Transplantation

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): महोदया, मैं अपना विशेष उल्लेख करने से पहले एक शिकायत करना चाहता हूं। विशेष उल्लेख का उत्तर आने के संबंध में तीन सप्ताह का नियम है। लेकिन तीन सप्ताह हो जाय, चार सप्ताह हो जाय, पांच सप्ताह हो जाय, छह सप्ताह हो जाय, मैंने गत सत्र में पादुन शहर के अंदर एक बैंक डकैती हुई थी उसके संबंध में विशेष उल्लेख किया था कि उसमें पुलिस वालों को सूचना होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और वहां कई लोग मारे गये। लेकिन उस विशेष उल्लेख का आज तक कोई उत्तर नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप संबंधित मंत्री को निर्देश दें कि वे सभा पर विशेष उल्लेख का उत्तर दें वरना विशेष उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will ask the Minister for Parliamentary Affairs to make a note of it.

डा० अबरार अहमद खान: महोदया, वैसे तो और धंधे कई प्रकार के चलते हैं लेकिन एक धंधा जो दिल को दहलाने वाला है मैं अपने विशेष उल्लेख के माध्यम से उसका उल्लेख यहां करना चाहता हूं।

महोदया, गुर्दा प्रत्यारोपण के आज इस देश के कुछ डाक्टरों और कुछ कंपनियों ने एक धंधा बना लिया है। इस तरह का धंधा जिन शहरों में चल रहा है उनमें बम्बई और मद्रास सबसे आगे हैं। ऐसे गरीब जो रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, उनसे सस्ती कीमतों में उनका गुर्दा खरीदकर देशी और विदेशी पूंजीपतियों तथा करोड़पतियों को बेचा जाता है जो कि एक बहुत घिनौनी हरकत है। गत वर्षों में जितने गुर्दा प्रत्यारोपण देश के अंदर हुए उनमें 50 प्रतिशत से अधिक गुर्दा प्रत्यारोपण भारतीय लोगों के गुर्दों के द्वारा किया गया। इस प्रकार की घटनायें भी सामने आई हैं कि कोई पेशेंट किसी नर्सिंग होम या हास्पिटल में खुद का इलाज कराने गया तो बिना किसी सूचना के उसकी एक किडनी हटा दी गई या चोरी ली गई और बाद में उसको इस बात का पता चला। यह इस प्रकार की घिनौनी हरकत है जो कि दिल को दहला देने वाली है और आदमी के जीवन से खिलवाड़ करने की बात है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसके लिये सख्त से सख्त कानून बनाया जाय। जो लोग इस गुर्दा प्रत्यारोपण को एक धंधा बनाने जा रहे हैं और इसके माध्यम से पूंजीपति बनना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। एक कानून बंबई के अंदर इस संबंध में 1982 में बना था। लेकिन आज तक वह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। उसके अनुसार अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वहां पर ऐसे नर्सिंग होम जो 50 बेड के नर्सिंग होम हैं, जिनके पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वे गुर्दा प्रत्यारोपण कर रहे हैं। वे यह मात्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वे किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वे यह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस धंधे में वे 15 हजार 20 हजार या 30 हजार में गरीबों से गुर्दा खरीद लेते हैं और उसको एक-एक लाख, दो-दो लाख या पांच-पांच लाख रुपये में बेच देते हैं। यह बहुत घिनौनी हरकत है, बहुत घटिया बात है और गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाये और जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): It is a very serious matter. I suppose you must direct the Minister for Parliamentary Affairs again to pass on the information and that the Government should look into it very seriously and conduct a thorough investigation and punish those found guilty.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, I support the Special Mention made by the hon. Member. Since it is a serious matter, the Minister has to pay his attention to it and set it right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The direcion I gave was that the special mentions which the Members make, the Minister should take them seriously.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I have already taken note of it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This subject is of a humanitarian question. You should take note of it.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam many times such assurances have been given but this kind of assurance did not have any relevance.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं भी अपने अंग को इसी सम्बद्ध करना चाहता हूं। अभी तक दिल्ली में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत मरने से पहले कोई व्यक्ति अपने अंग को दान कर सके, आंख के इलावा **(व्यवधान)**

उपसभापति : आंख का है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और अंगों के बारे में नहीं है। कुछ राज्यों ने इस तरह के कानून बनाए हैं लेकिन दिल्ली में जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा तब तक अंगों की मांग बढ़ रही है उसे पूरा तो करना पड़ेगा। इसीलिए फ्राड हो रहे हैं। आप सरकार से यह भी कहें कि दिल्ली के लिए इस तरह का विशेष कानून बनाए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं डा० अब्दुल बारी साहब का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं। यह सिर्फ अंग दान की बात नहीं है यौन परिवर्तन की भी बात आ रही है। अभी पिछले दिनों बत्रा अस्पताल में एक मुस्लिम महिला जो पाकिस्तान की नेशनलिस्ट है पाकिस्तान से आई थी। उसे वहां भारत से मर्द बना दिया गया और उसके पासपोर्ट पर लिखा था फीमेल अरेंज्ड मेल बन कर कैसे पाकिस्तान वापिस जाएगी। यह गौर करने की चीज है। बत्रा अस्पताल में यह आप्रेशन किया गया। उसके पहले भी लगातार परिवर्तन अब हो रहा है तो विदेश मंत्रालय से इसकी कई परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। एक फारेन नेशनलिस्ट का आप्रेशन कर के हिन्दुस्तान के अस्पताल में यौन परिवर्तन किया गया है, यह गौर करने की बात है।

उपसभापति : उस महिला से भी पूछा था या ऐसे ही कर दिया था।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महिला से जरूर पूछा था, किन्तु फारेन नेशनल का आप्रेशन हमारे देश में किया गया। बीजा तो फीमेल का इश्यु हुआ है अब मेल बन कर कैसे वापिस जाएंगे। **(व्यवधान)**

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : उनका कहना यह है कि पाकिस्तान से आई हुई महिला को भारत से मर्द बना दिया गया तो वह अब वापिस कैसे जाएगी।

SHRI M. M. JACOB: The Minister for Parliamentary Affairs can only listen to these things and pass on the information to the Health Minister. I myself may not be able to give any assurance. My friend, Mr. Baby was telling that the assurances which we give have no relevance. We don't give assurances like that here. We will convey to the appropriate authority.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is giving an assurance of conveying but not on the subject. ....*(Interruptions)* ....

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): The Minister of Parliamentary Affairs can only pass on the information but he is also a part of the Government. Then, he can take advantage of being in the Government and get assurance from the Ministry with regard to certain special mentions.

SHRI M. M. JACOB: We have a collective responsibility and this will be taken note of seriously.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Our Minister for Parliamentary Affairs is a very efficient person. He will look into the matter. ....*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri M. S. Gurupadaswamy.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): You have called me?

THE DEPUTY CHAIRMAN: When you have given your name for a special mention, I have to call you.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Senior Members should not be allowed to make special mentions.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I take note of that.

Deteriorating Situation in Agro-Service Centres

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Madam Deputy Chairman, I refer to the said state of affairs of the agro-service centres in the country. These Centres were started in the early seventies and there are nearly 4000 technocrats and scientists involved in the centres. These centres were sponsored by the Government of India in the year 1971-72 with twin objectives: (1) to provide all the latest agricultural and technical requirements to the farming community in general and small and marginal farmers in particular at a proper time on fair price under one roof at their door-steps. (2) To provide gainful employment in the rural area itself to the technocrats. Incentives to stop urban shift of rural manpower. It has to be a composite centre where modern and latest agricultural machineries have to be there and there has to be dealership also for fertilizers, seeds, pesticides and so on. In addition, there have to be spares and workshop to repair the available agricultural machinery of farmers. In addition, there have to be warehouses and there should be iron and steel and other things required to be made available at the centre for the farming community. These centres were started with a very noble objective but now, these centres are in a state of great disarray. They are incurring losess all round. There have been evaluation reports of the Planning Commission and there have been directions issued by the Finance Ministry to the State Governments. In spite of these efforts, the plight of the agro-service centres remain deplorable. The original scheme envisaged that the banks should give loans up to Rs. 7.5 lakhs but the banks have not been cooperative at all in sanctioning loans. The loans sanctioned in most cases is Rs. 1 lakh. The loans have to be sanctioned at a very low rate of interest of 5 per cent. But all these years, these centres have not been able to cater to the needs of the farming community because they have not been fully equipped. They do not have finances and there is also competition in certain areas from the rich farming community. The result has been that they are in total chaos. They are a very important limb for the farming community. This has to be salvaged and rehabilitated. The Government of India has not taken any step—to rehabilitate these centres and nearly 4,000 entrepreneurs who are self-employed are suffering. As a result of this, many are in debt. They are not in a position to pay back their loans. What is required is a new package of concessions to be evolved by the Central Government and the Planning Commission in consultation with the State Governmets so that the existing agro-service centres may be modernised rehabilitated and brought to form and those